PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 31st August, 2010

G.S.R. 140 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Planning Commission Senior Library Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Planning Commission Senior Library Attendant (Group 'C' Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Planning Commission Senior Library Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2009, under Column 8 for the item Desirable and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

   "Desirable :

   Two years regular service in any Library of the Central Government, Public Sector Undertaking, State Government or Autonomous Organisation".

[F. No. 12018/4/2009-Admn. V]

N. K. SHARMA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* Number G.S.R. 155, dated the 14th November, 2009.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 141 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, कर्मशाला कर्मचारिवृन्द शिल्पकार श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली, के अधीन केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, में शिल्पकार श्रेणी क, ख, ग और (घ) (समूह 'ग' पद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम न करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, कर्मशाला कर्मचारिवृन्द श्रेणी (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2010 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिल्पकार, श्रेणी 'क'	7* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** शिल्पकार समूह 'ख' जिन्होंने श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला —अध्यक्ष 2. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिल्पकार, श्रेणी 'ख'	82* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** शिल्पकार समूह 'ग' जिन्होंने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला —अध्यक्ष 2. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिल्पकार, श्रेणी 'ग'	21* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-1900 रु.	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टिप्पण 1** :–केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए किसी अन्य शिथिलता सहित संचित रूप से शिथिलनीय । **टिप्पण 2** :–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य शिथिलता के साथ संचयी रूप से शिथिलनीय । **टिप्पण 3** :–आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के विहित की गई है) ।	लागू नहीं होता

(6)
टिप्पण 4 :—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(8)	(9)	(10)
(i) मेट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य हो, (ii) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) या समतुल्य साथ ही तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो, या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र साथ ही सुसंगत व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण** 1 : वह विशिष्ट विद्या जिसमें शैक्षिक अर्हताएं और वह क्षेत्र जिसमें अनुभव अपेक्षित है भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । **टिप्पण** 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	नहीं	दो वर्ष ।

(11)	(12)
(i) शिल्पकार श्रेणी "घ" से 10% प्रोन्नति द्वारा । (ii) 90% सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** शिल्पकार श्रेणी "घ" जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया

(12)
जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला —अध्यक्ष 2. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिल्पकार, श्रेणी 'घ'	14* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-1800 रु.	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टिप्पण 1** :–केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिलनीय । **टिप्पण 2** :–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य शिथिलता के साथ संचयी रूप से शिथिलनीय । **टिप्पण 3** :–आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के	लागू नहीं होता

(6)
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के विहित की गई है) । **टिप्पण 4** :–रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(8)	(9)	(10)
(i) मेट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य हो, (ii) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) या समतुल्य साथ ही पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो । **टिप्पण** 1: वह विशिष्ट विद्या जिसमें शैक्षिक अर्हताएं और वह क्षेत्र जिसमें अनुभव अपेक्षित है भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । **टिप्पण** 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।

50/4A
50/4B

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।

(13)		(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला/	—अध्यक्ष	
2. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य	
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे	—सदस्य	

[फा. सं. 2/2/2001-स्था.II]

ललन प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 18th August, 2010

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Workshop Staff, Craftsman Grade (Group C posts), Recruitment Rules, 1988, except as respect thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Craftsman Grades A,B,C and D (Group C posts), in Central Water and Power Research Station, Pune, under Ministry of Water Resources New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Workshop Staff, Craftsman Grade (Group C posts), Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. —The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule of these rules.

3. Method of recruitment age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band, and grade pay/pay scale	Whether Selection Post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Craftsman Grade 'A'	7* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
(11)	(12)
By Promotion	Craftsman Grade 'B' with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental promotion committee consisting of— (1) Joint Director, Central Water and Power Research Stattion, Pune —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(13)
(2) A Group 'A' officer from other Central Government Department —Member (3) Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Craftsman Grade 'B'	82* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Non Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By Promotion	Craftsman Grade 'C' with eight years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee Group 'C' consisting of— (1) Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman (2) A Group 'A' officer from other Central Government Department —Member (3) Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Craftsman Grade 'C'	21* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Non-Selection	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1 :** Relaxable for Scheduled	Not applicable

(6)
Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as notifed by the Central Government from time to time. **Note 2 :** Relaxable cumulatively with any other relaxation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes. **Note 3 :** The crucial date for determining age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 4 :** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent pass. (ii) National Trade Certificate (Industrial Training Institute) OR Equivalent in the relevant trade with three years practical experience. OR National Apprentice Certificate in relevant trade with two years practical experience. **Note 1 :** The particular discipline in which educational qualifications and areas in which experience are required shall be specified at the time of recruitment. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Com-	No	Two years

(8)
petent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes, or Scheduled Tribes at any stage of selection if the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy(ies) reserved for them.

(11)	(12)
(i) 10% by Promotion from Craftsman Grade 'D' (ii) 90% by Direct recruitment.	**Promotion :** Crafts Grade 'D' with three years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years,'whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee 'Group C' consisting of :— (1) Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune, —Chairman (2) A Group 'A' officer from other Central Government Department —Member (3) Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Craftsman Grade 'D'	14* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not' applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1 :** Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as notifed by the Central Government from time to time. **Note 2 :** Relaxable cumulatively with any other relaxation for	Not applicable

(6)
Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes. **Note 3 :** The crucial date for detemining age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 4 :** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent pass (ii) National Trade Certificate (Industrial Training Institute) OR having of 5 years experience in relevant trade. **Note 1 :** The particular discipline in which educational qualifications and areas in which experience are required shall be specified at the time of recruitment. **Note 2 :** The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes, or Scheduled Tribes at any stage of selection if the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy(ies) reserved for them.	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)		(14)
Departmental Promotion Committee Group 'C' (for confirmation) consisting of :—		Consultation with Union Public Service Commission not necessary,
(1) Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune,	—Chairman	
(2) A Group 'A' officer from other Central Government Department	—Member	
(3) Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member	

[F. No. 2/2/2001-E.II]

L. P. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निदेशक, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम *जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला,* नई दिल्ली, निदेशक, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।